

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

दूरभाष संख्या 05966-211126

e.mail : eepmgssalt@rediffmail.com

पत्रांक 223 / 5064

दिनांक 13 03.2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय:- सरना से मलिहारी मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/333105/2018) में लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- EDS dated 06.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :-

Sl. No.	Objection	Reply
1	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup.	Form A, Part I के Section K में Village wise separate attendance जो कि B-2.3 में लिखे गये गांवों के अनुसार ठीक कर के अपलोड कर दिया गया है।
2	Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 Form A, Part I please rectify accordingly.	Form A Part I के B-2.3 & B 2.4 में component wise breakup ठीक कर अपलोड कर दिया गया है।
3	Land for CA has been shown to be provided by forest department in R.F. than why in L-(I) it has been written "yes" it should be "No"	Form A Part I L-(I) में R.F. में "Yes" करके सही दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है।
4	Undated certificate of DM has been uploaded at section K in form A Part I. please rectify.	Form A Part I. के Section K, में DM Certificate में दिनांक लिख कर ठीक करके अपलोड कर दिया गया है।
5	Tree detail not filled as additional information in form A Part I.	Tree detail additional information in form A Part I. में ठीक करके अपलोड कर दिया गया है।
6	Land Sceduled, District profile, CA site suitability, CA scheme and tree details are not uploaded as additional information in Form A Part II.	Land Sceduled, District profile, CA site suitability, CA scheme and tree details information in Form A Part I. में ठीक कर अपलोड कर दिया गया है। तथा Form A Part II. DFO कार्यालय द्वारा भरा जाना है।
7	Area mentioned in KML is 8.555 ha while area mentioned in proposal is 8.572 ha in Form A Part I and Part 2.	Area mentioned in KML is 8.555 ha while area mentioned in proposal is 8.572 ha in Form A Part I. में ठीक कर अपलोड कर दिया गया है। तथा Form A Part II. DFO कार्यालय द्वारा भरा जाना है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)
13/3/19

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

Dated-19/06/2017

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.286 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Sanra-Malihati Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Malihari** villages in **Salt** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.286** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - ALMORA (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. *Savitri Bansal*, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated *19.11.17* at time *4:15 PM* at *Almora* in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **4.286** hect for the **Construction of Sanra to Malihari Motor Road (10.300 Km)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikiyasain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; *Almora*
Dated: *19.11.17*

[Signature]
**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यासैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.480 है0 वन पंचायत, 3.806 है0 सिविल सोयम भूमि कुल 4.286 है0 वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील भिक्यासैण को दिनांक 16.3.14 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपालराम विनवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री गोपालराम विनवाल
2. श्री चन्दनगिरी गोस्वामी
3. श्री रवीमा जन्द बुडाजी
4. श्री मनी चन्दा देवी

उपजिलाधिकारी भिक्यासैण।

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट।

बी0डी0सी0 क्षेत्र सनड़ा सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.286 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.286 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी

भिक्यासैण।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी

भिक्यासैण।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड ~~समूह~~ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 अन्तर्गत में आदिकालीन जनजाति समूह निवास नहीं करते हैं, और भूमि प्रभावित हो रही है।


सहायक सभाज कल्याण अधिकारी
सल्ट (अल्मोड़ा)


खण्ड विकास अधिकारी,
सल्ट-अल्मोड़ा

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनीणा ग्राम - कुम्हना
तहसील शिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 23/12/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लक्ष्मीदेव
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान/सरपंच

जसवीर सिंह
ग्राम प्रधान
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/02/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कनीणा ग्राम - कुम्हना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रहलाद सिंह	प्रहलाद सिंह
2	भीम सिंह	भीम सिंह
3	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
4	हरी सिंह	हरी सिंह
5	जोगा सिंह	जोगा सिंह
6	ध्यान सिंह	ध्यान सिंह
7	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
8	दिवकर सिंह	दिवकर सिंह
9	जयन्ती देवी	जयन्ती देवी
10	भवानी देवी	भवानी देवी
11	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह 2199
12	हंसी देवी	
13	पार्वती देवी	
14	हमा देवी	हमा देवी
15	शंकर सिंह	शंकर सिंह
16		

ह0/-
ग्राम प्रधान

जसोदर
ग्राम पंचायत कनीणा
वि0 ख0 सल्ट (अल्मोडा)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मलिहारी (गढ़वा)
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

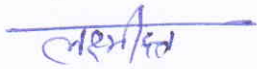
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 23/02/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव


ग्राम प्रधान/सरपंच
मलिहारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/02/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भाजदारी (गहना)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१-	श्री नरदेव नेमवाल	नरदेव
२-	ग चन्द्रमणी नेमवाल	चन्द्रमणी
३-	ग रीकारम्म पौंडे	रीकल
५-	ग केशव दत्त नेमवाल	Keshub Datt
६-	ग लक्ष्मीदास पौंडे	लक्ष्मीदास
७-	ग प्रेमवल्लभ नेमवाल	प्रेमवल्लभ
८-	ग जय सिंह	जयसिंह
९-	ग हरीदत्त नेमवाल	हरीदत्त
१०-	ग अनावाडा चंद नेमवाल	अनावाडा

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मलिहारी (सासखोली)
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

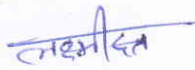
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 21/04/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम सचिव



ग्राम प्रधान/सरपंच

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/02/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मजिदारी (सासखेली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
2-	मदन सिंह	मदन सिंह
3-	दीपक सिंह	दीपक सिंह
4-	जीतलाल सिंह	जीतलाल सिंह
5-	वल्लभलाल सिंह	वल्लभलाल सिंह
6-	उदेगिरी गोस्वामी	उदेगिरी
7-	धरम सिंह	धरम सिंह
8-	भद्रेन्द्र सिंह	भद्रेन्द्र सिंह
9-	शिवम सिंह	शिवम सिंह
10-	दीवान सिंह सलवंडा	दीवान सिंह
11-	जसी राम	जसी राम
12-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
13-	मदन सिंह	Madan Singh
14-	दीवान सिंह सलवंडा	Diwan Singh

पूरन सिंह

ग्राम पंचायत मजिदारी

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मलिहारी
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 23/02/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव


ग्राम प्रधान/सरपंच

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालिहारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	1 धनप - टंडा	धनप टंडा
2-	11 भगतासिंह डंगवाल	भगतासिंह
3-	11 लम्बीराम कामा	लम्बीराम
4-	11 खीम सिंह सखीपा	Kam Singh
5-	11 बलवन्तासिंह डंगवाल	बलवन्तासिंह
6-	11 चन्दन सिंह सखीपा	चन्दन सिंह
7-	11 शिवसिंह	शिवसिंह
8-	11 मोहन सिंह	Mohan Singh
9-	11 नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
10-	11 दान सिंह	दान सिंह
11-	11 चन्दन गिरी	चन्दन गिरी
12-	11 कमल गिरी	कमल गिरी
13-	11 हरी सिंह रावत	हरी सिंह
14-	11 सुरेन्द्र सिंह वंगारी	सुरेन्द्र सिंह
15-	11 जोगासिंह	जोगासिंह
16-	11 जोगासिंह डंगवाल	जोगासिंह
17-	11 विसन राम कामा	विसन राम
18-	11 रामीराम कामा	रामीराम
19-	11 प्रताप सिंह वंगारी	प्रताप सिंह
20-	11 रामसिंह	रामसिंह
	रीमा देवी	रीमा देवी

मुख्याधिकारी

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनीणा (ग्राम नहणा)
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 23/02/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लक्ष्मीवत
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान/सरपंच

अमिताभ
ग्राम पंचायत कनीणा
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/01/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - नहा

ग्राम पंचायत कनीणा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
2	गिरधर सिंह मण्ड	गिरधर सिंह
3	प्रेम सिंह मण्ड	प्रेम सिंह
4	महाराज सिंह	महाराज सिंह
5	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
6	गिरीश सिंह	गिरीश सिंह
7	नन्दी देवी	नन्दी देवी
8	प्रभा देवी	प्रभा देवी
9	श्याम देवी	श्याम देवी
10	जगदीश देवी	जगदीश देवी
11	माजरी देवी	
12	श्री देवी	
13	सुरभती देवी	सुरभती देवी
14	सोनी	सोनी
15	माजरी देवी	
16	रामदेवी देवी	रामदेवी देवी
17	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
20	भावना देवी	भावना देवी
21	दीपानी	दीपानी
22	गान्धी	गान्धी
23	अनीता	अनीता
24	ज्योती	ज्योती
25	मनीषा अनीता	मनीषा
26	राजेश मण्ड	राजेश

ह0/-
ग्राम प्रधान

जसवंत
ग्राम पंचायत कनीणा
वि० ख० सल्ट (अल्मोडा)

प्रारूप-19

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सनड़ा-मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 21-2-13 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिधार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							योग
					10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1.	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	सिविल सोयम		चीड़		12	15	5	2	—	—	—	34
3.	वन पंचायत		चीड़		10	6	1	—	—	—	—	17
4.	संरक्षित वन		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि				22	21	6	2	—	—	—	51
5.	नाप भूमि		चीड़		50	22	29	3	—	—	—	104
			आम		7	3	4	—	—	—	—	14
	कुल योग :-				57	25	33	3	—	—	—	118

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

Signature
21.2.13

Signature
वन विभाग, सौराष्ट्र वन क्षेत्र, उदयोदय वन स्थान-वरदोर

Signature
Signature

सहायक निरीक्षक
निर्वाह सचिव को.वि.वि.
सड़क (बनसोड़ा)

Signature
प्रकार का

Signature
जनजाति अधिकारी
अभियोग
विद्या-बनसोड़ा

Signature
बहुतीयार निरीक्षक
विद्या-बनसोड़ा

सड़क का प्रकार

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नॉप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवृद्धित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	अल्मोड़ा	मिवयासैण	सल्ट	144	3.806	4229	9.00	3.806
वन पंचायत	गुमना दुगौली			229	0.480	533	9.00	0.480
योग वन भूमि	गामा				4.286	4762	9.00	4.286
नॉप भूमि					4.984	5538	9.00	4.984
कुल योग					9.270	10300	9.00	9.270

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट
अमन

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट



English

English

English

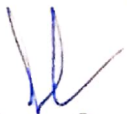
English

English

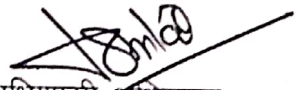
परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

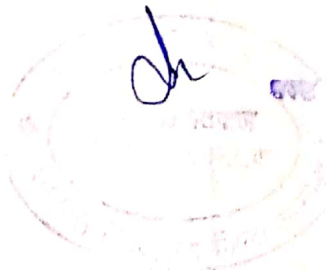
परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

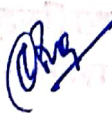
क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—
2	सिविल सोयम भूमि	4229	9.00	3.806
3	वन पंचायत भूमि	533	9.00	0.480
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	9(3)ड	—	—
	वन भूमि का योग	4762		4.286
5	नाप भूमि	5538	—	4.984
	कुल योग—	10300		9.270

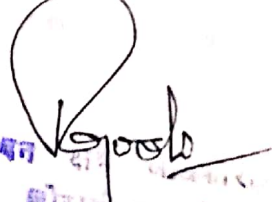

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट

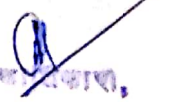

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० सल्ट




वन विभाग
सलीखेत
अल्मोड़ा जिला


वन विभाग
सलीखेत
अल्मोड़ा जिला


वन विभाग
सलीखेत
अल्मोड़ा जिला

प्रमाण-पत्र

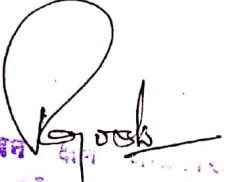
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षा रोपड़ स्थल हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

(Ovnership proof)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के लिये आवश्यक 3.785 हे० के सापेक्ष दुगनी आरक्षित वन भूमि जानरखानी (सीमगांव) कम्पार्टमेन्ट नम्बर 04 में कुल 8.572 हे० वन भूमि वन क्षेत्राधिकारी जौरासी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर लो०नि०वि० सल्ट को दी जाती है।

A
उ० प्र० वि०
रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग


वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन प्रभाग
अल्मोड़ा

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एम0ओ0यू0

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के लिये आरक्षित वन भूमि जनरखानी (सीमगांव) कम्पार्टमेन्ट नम्बर 04 में कुल 8.572 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 सल्ट को दी जाती है। क्योंकि यह भूमि वन विभाग की है।

अतः अमलदरामद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

A
उ० प्र० व०
सानीयत
कानून का प्रमाण

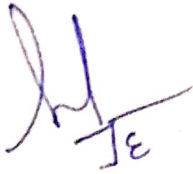
बन वि०
मोरावी वन वि०
वि० वि०
ला ५

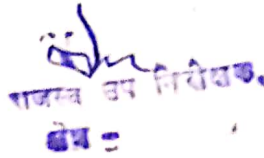
क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

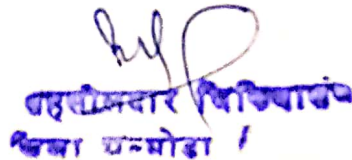
जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सनणा से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सनणा से मलिहारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम जनरखानी में ^{कम्पाट नं० ५ में} आरक्षित वन भूमि $4.286 \times 2 = 8.572$ हैक्टै० भूमि की आवश्यकता है।

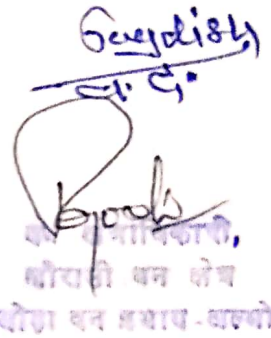


वृक्षारोपण समिति
विशेष सल्ट पो. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)



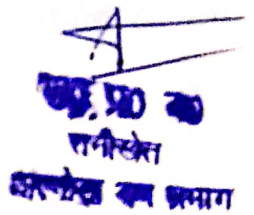
वृक्षारोपण समिति
विशेष सल्ट पो. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)



वृक्षारोपण समिति
विशेष सल्ट पो. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)



वृक्षारोपण समिति
विशेष सल्ट पो. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)



वृक्षारोपण समिति
विशेष सल्ट पो. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)

10 गुना क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क से मलिनहारी मोटर मार्ग का निर्माण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- जनरखानी (सीमगांव) कम्पाई नं. 4

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल 8.572 है०

रोपित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 8.572 है० x 1100 पौध प्रति है० = 9429no.

L.S.

9430.00

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	रावे एव सीमांकन	8.572	प्रति है०	116.40	997.78
2	क्षेत्रफल की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	8.572	प्रति है०	700.80	6007.26
3	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए	8.572	प्रति है०	9300.00	79719.60
	वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम				
	वाटर हावेस्टिंग टैंक				
4	कुली दीवाल बन्दी (फन्सिंग)	720.048	प्रति	29106.00	20957717.09
5	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	9430	प्रति गड्डा	8.80	82946.28
7	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	8.572	प्रति है०	582.00	4988.90
8	डी०ए०पी० खाद की लागत (50 ग्राम प्रति गड्डा)	471.50	किग्रा०	22.80	10750.20
9	पौधों का मूल्य	9430	प्रति गड्डा	7.07	66651.24
10	अन्य कार्य	8.572	प्रति है०	480.00	4114.56
	योग:- प्रथम चरण				21213892.91

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30 x 0.30 x 0.45)	9430	प्रति पौध	1.38	13013.40
2	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	9430	प्रति पौध	1.38	13013.40
3	पौध डुलान कार्य	9430	प्रति पौध	7.67	72309.24
4	पौधरोपण व थोलाबन्दी	9430	प्रति पौध	2.47	23310.96
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलिंग कार्य	9430	प्रति पौध	0.91	8600.16
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलिंग कार्य	9430	प्रति पौध	1.38	13013.40
7	रसायनिक दवा प्रति वर्ष	8.572	प्रति है०	0.25	2.16
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 8 माह)	8.572	प्रति है०	5721.60	49045.56
8 ^प 10	घास-पूस हटाना	8.572	प्रति है०	420.00	3600.24
8 ^प 2	सुरक्षा पट्टी बनाना	8.572	प्रति है०	270.00	2314.44
8 ^प 3	प्रचार-प्रसार	8.572	प्रति है०	480.00	4114.56
8 ^प 4	प्रोत्साहन	8.572	प्रति है०	240.00	2057.28
9	अन्य कार्य।	8.572	प्रति है०	840.00	7200.48
	योग:- द्वितीय चरण				211595.28
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				21425488.19

तृतीय चरण				
1	सोपन वर्ष के उपलब्ध तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति हे०	8582.40
2000	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति हे०	420.00
	सुरक्षा दीवार / घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति हे०	270.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति हे०	372.00
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00
योग - तृतीय चरण				84729.08
चतुर्थ चरण				
1	सोपन वर्ष के उपलब्ध चतुर्थ वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति हे०	8582.40
2000	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति हे०	420.00
	सुरक्षा दीवार / घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति हे०	270.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति हे०	372.00
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00
योग - चतुर्थ चरण				84729.08
पंचम चरण				
1	सोपन वर्ष के उपलब्ध पंचम वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति हे०	8582.40
2000	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति हे०	420.00
	सुरक्षा दीवार / घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति हे०	270.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति हे०	372.00
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00
योग - पंचम चरण				84729.08
षष्ठम चरण				
1	सोपन वर्ष के उपलब्ध षष्ठम वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति हे०	8582.40
2000	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति हे०	420.00
	सुरक्षा दीवार / घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति हे०	270.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति हे०	372.00
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00
योग - षष्ठम चरण				84729.08

साप्ताहिक

1	रोपण वर्ष के उपतरान्त साप्ताहिक वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति है०	8582.40	73568.33
2 ⁰⁰⁰	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति है०	420.00	3600.24
	सुरक्षा दीवार/घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति है०	270.00	2314.44
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति है०	372.00	3188.78
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00	2057.28
योग - साप्ताहिक चरण					84729.08

अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के उपतरान्त साप्ताहिक वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति है०	8582.40	73568.33
2 ⁰⁰⁰	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति है०	420.00	3600.24
	सुरक्षा दीवार/घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति है०	270.00	2314.44
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति है०	372.00	3188.78
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00	2057.28
योग - अष्टम चरण					84729.08

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के उपतरान्त अष्टम वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.572	प्रति है०	8582.40	73568.33
2 ⁰⁰⁰	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	8.572	प्रति है०	420.00	3600.24
	सुरक्षा दीवार/घेर बाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	8.572	प्रति है०	270.00	2314.44
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। अ० प्रशिक्षण	8.572	प्रति है०	372.00	3188.78
	ब० - प्रोत्साहन।	8.572		240.00	2057.28
योग - नवम चरण					84729.08

ସମସ୍ତ ଚାପ	212,389.291
ଝିଲିଆ ଚାପ	211,595.28
ଗଣିଆ ଚାପ	84729.08
ସରଳ ଚାପ	84729.08
ଫାଟା ଚାପ	84729.08
ହଠାତ ଚାପ	84729.08
ଫେଟା ଚାପ	84729.08
ଝିଲିଆ ଚାପ	84729.08
ଗଣିଆ ଚାପ	84729.08
ସରଳ ଚାପ	84729.08
ଫାଟା ଚାପ	84729.08
ସମସ୍ତ ଚାପ	22103320.80

Ca, Cl,

रानी अक्षता

四、**社會教育**

क. सांभाविकता
गौरादी वन क्षेत्र

ପ୍ରକୃତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ-ସଂଗ୍ରହ

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क से मल्लिहारी मोटर मार्ग का निर्माण।

रोपित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 10.300 किमी० x 200 पौध प्रति हे० = 2060 no.	L.S.	2060.00
--	------	---------

प्रथम चरण					
क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	10.300	किमी०	116.40	1198.92
2	अवकाश की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	10.300	किमी०	700.80	7218.24
3	पन्थान / टी गाड़	2060.00	पौध	960.00	1977600.00
4	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	2060.00	पौध	8.80	18119.76
5	पौधों का मूल्य	2060.00	पौध	7.07	14560.08
6	अन्य कार्य	10.300	किमी०	480.00	4944.00
योग:- प्रथम चरण					2023641.00
द्वितीय चरण					
2	गड्डा भरान कार्य (0.30 x 0.30 x 0.45)	2060	पौध	1.38	2842.80
	पौधों का मूल्य	2060	पौध	1.38	2842.80
3	पौध बुलान कार्य	2060	पौध	7.67	15796.08
4	पौधरोपण व थोलाबन्दी	2060	पौध	2.47	5092.32
5	निराई गुड़ाई व नल्लिग (दो बार)	2060	पौध	1.38	2842.80
6	खाद व दवा पर व्यय	9.270	हे०	0.25	2.34
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8	माह	7500.00	60000.00
8	अन्य साईन बोर्ड पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन क्रय करना।	10.300	किमी०	1302.00	13410.60
9	अन्य कार्य।	10.300	किमी०	840.00	8652.00
योग:- द्वितीय चरण					111481.74
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण					2135122.74
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	माह	11500.00	138000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वनलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	9.270	हे०	420.00	3893.40
3	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	9.270	हे०	270.00	2502.90
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.270	हे०	372.00	3448.44
5	अन्य कार्य	9.270	हे०	240.00	2224.80
योग - प्रथम वर्ष रख रखाव					150069.54
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	11500.00	138000.00
2	अन्य कार्य	10.300	KM	240.00	2472.00
योग - द्वितीय वर्ष रख रखाव					140472.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	11500.00	138000.00
2	अन्य कार्य	10.300	KM	240.00	2472.00
योग - तृतीय वर्ष रख रखाव					140472.00

